प्रेस नोट,
दिनांक 23.05.2024

थाना को0कर्नलगंज पुलिस एवं SOG टीम की संयुक्त कार्यवाही में चोरी की कई घटनाओं का सफल अनावरण। पुलिस मुठभेड़ में घटना में संलिप्त 02 शातिर बदमाश घायल/गिरफ्तार समेत कुल 03 शातिर बदमाश गिरफ्तार, बदमाशो के कब्जे से लूट/चोरी के 15 जोड़ी पायल(सफेद धातु), 04 अदद लाकेट(पीली धातु), 02 अदद ओम(पीली धातु), 03 जोड़ी झुमका(पीली धातु) व 1910/- रूपये नगद, व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 03 अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के प्रवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी कर्नलगज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0-209/24, धारा 394 भादवि थाना को0कर्नलगंज, मु0अ0स0 148/2024, धारा 379 भादवि थाना उमरीबेगमगंज व मु0अ0स0 194/24 धारा 457, 380 भादवि थाना इटियाथोक से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 शातिर लूटेरा/चोर 01. सलमान 02. लक्ष्णण पुलिस मुठभेड़ में घायल व 01 अन्य अभियुक्त 03. अरूण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट/चोरी **के 15 जोड़ी पायल(सफेद धातु), 04 अदद लाकेट(पीली धातु), 02 अदद ओम(पीली धातु), 03 जोड़ी झुमका(पीली धातु व 1910/- रूपये नगद, व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल, 03 अदद अवैध तमंचा मय 03 अदद जिन्दा व 03 अदद खोखा कारतूस** बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री संजीव कुमार तिवारी पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी निवासी देवरदा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज को सूचना दी कि मै पक्की सड़क बनवाता हूँ शुक्लापुरवा के पास मेरा तारकोल का ड्रम रखा है। आज दिनांक 22/23.05.2024 को रात्रि में अज्ञात व्यक्ति पिकप गाड़ी लेकर आये 09 ड्रम तारकोल चोरी कर ले गये। उक्त सूचना पर थाना उमरीबेगमगंज पर मु0अ0स0 148/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के शीघ्र अनावरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा एसओजी/सर्विलांस टीम सहित कई टीमों का गठन किया गया। घटना के सफल अनावरण के क्रम में बन्दरेबाबा मार्ग से चचरी जाने वाले मार्ग पर हरिसहायपुरवा खजुरिया के पास संदिग्ध आरोपियों को घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी 01. सलमान 02. लक्ष्मण घायल/गिरफ्तार समेंत अन्य 01 अभियुक्त 03. अरूण को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त सलमान व लक्ष्मण को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट/चोरी के **15 जोड़ी पायल(सफेद धातु), 04 अदद लाकेट(पीली धातु), 02 अदद ओम(पीली धातु), 03 जोड़ी झुमका(पीली धातु) व 1910/- रूपये नगद, व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल, 03 अदद अवैध तमंचा मय 03 अदद जिन्दा व 03 अदद खोखा कारतूस** बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर अलग-अलग गिरोह बनाकर गाँव में भीख मांगने खाने की आड़ में रैकी कर रात में चोरी/लूट की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। अभियुक्तों द्वारा बताया गया की दिनांक 15.05.2024 की रात्रि थाना कर्नलगंज के गाँव चौरी सुबेदारपुरवा में घर में घुस कर अलमीरा से सोने चांदी के जेवरात व नगदी चोरी किये थे। तथा दिनांक 19.05.2024 को थाना इटियाथोक के पंडितपुरवा गाँव में एक घर का ताला तोड़ कर सोने चाँदी के जेवरात व नगदी चोरी किया गया था। दिनांक 12.05.2024 को थाना कटराबाजार क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम लदई पट्टी

रायपुर फकीर मे एक घर में घुस कर हम लोगो ने चोरी व मारपीट की घटना किये थे। तथा पुनः 21.05.2024 को चोरी करने की योजना हम लोग द्वारा बनायी जा रही थी कि हमारे तीन सहयोगियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया था और अन्य अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गये थे। आज हम लोगो द्वारा थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के अतर्गत सब लोग मिलकर तारकोल चोरी कर भाग रहे थे कि रास्ते में आप लोगो द्वारा घेरा बन्दी किया गया जिससे बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। हमारे साथी पिकप वाहन लेकर भाग गये और हम लोगो को आप द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सलमान पुत्र जलील उर्फ जिल्लू निवासी गांधीनगर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
02. लक्ष्मण पुत्र जिल्ला निवासी गांधीनगर, थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
03. अरूण पुत्र छविलाल निवासी हगनागाँव अलीगढ़ थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-209/24, धारा 394 भादवि थाना को0 करनैलगंज, जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0 194/24 धारा 457, 380 भादवि थाना इटियाथोक गोण्डा।
03. मु0अ0स0 148/2024 धारा 379 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 225/24, धारा 307 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. **15 जोड़ी पायल(सफेद धातु),**
02. 04 अदद लाकेट(पीली धातु),
03. 02 अदद ओम(पीली धातु),
04. 03 जोड़ी झुमका(पीली धातु)
05. 1910/- रूपये नगद,
06. 03 अदद अवैध तमंचा मय 03 अदद जिन्दा व 03 अदद खोखा कारतूस
07. घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिले(गलैमर लाल रगं UP36C5885 व UP36B6910 सुपर स्पलेण्डर)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक निर्भय नरायण सिंह मय टीम थाना को0 करनैलगंज गोण्डा।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 उ0नि0 सर्वजीत गुप्ता जनपद गोण्डा ।
03. प्रभारी सर्विलांस उ0नि0 सुनील सिंह जनपद गोण्डा।
04 प्रभारी साइबर उ0नि0 शादाब आलम जनपद गोण्डा।

अपराधिक इतिहास

01. आपराधिक इतिहास सलमान पुत्र जलील उर्फ जिल्लू ।

01. मु0अ0स0- 476/2013 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ

02. मु0अ0स0- 497/2018 धारा 39, 40, 42, 51, 9 वन्य जीव संरक्षण अधि0 थाना जीआरपी वाराणसी

03. मु0अ0स0- 389/23 धारा 323, 504. 506 भादवि थाना जगदीशपुर अमेठी।

04. मु0अ0स0 -32/24 धारा 379, 411,413,414 भादवि थाना कप्तानगंज बस्ती

05. मु0अ0स0 166/2024 धारा 380,459, 411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

06 मु0अ0स0 176/24 धारा 401 भादवि 3/25 आर्मस एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

07. मु0अ0स0 194/24 धारा 457, 380 भादवि थाना इटियाथोक गोण्डा।

08. मु0अ0स0 148/2024 धारा 379 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

02. आपराधिक इतिहास लक्ष्मण पुत्र जिल्ला

01. मु0अ0स0- 32/24 धारा 379, 411,413,414 भादवि थाना कप्तानगंज बस्ती

02. मु0अ0स0 166/2024 धारा 380,459, 411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0स0 176/24 धारा 401 भादवि 3/25 आर्मस एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0स0 194/24 धारा 457, 380 भादवि थाना इटियाथोक गोण्डा।

05. मु0अ0स0 148/2024 धारा 379 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

03. आपराधिक इतिहास अरूण पुत्र छविलाल ।

01. मु0अ0स0 166/2024 धारा 380,459, 411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0स0 176/24 धारा 401 भादवि 3/25 आर्मस एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0स0 194/24 धारा 457, 380 भादवि थाना इटियाथोक गोण्डा।

04. मु0अ0स0 148/2024 धारा 379 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.05.2024, थाना कटराबाजार,
जनपद गोण्डा।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा मारपीट करने के 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में गठित थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 145/2024, धारा 147, 323, 504, 506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)VA एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 नामजद आरोपी अभियुक्तों-01.शत्रोधन, 02. तिलकराम को उनके घर से गिरफ्तार कर कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.02.2024 को वादी छोटू पुत्र अग्गूराम निवासी लखनापुर मौजा गोनवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना थाना कटराबाजार को सूचना दिया कि विपक्षीगण प्रार्थी के दरवाजे के तरफ जबरन दरवाजा लगा रहे है विरोध करने पर विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डे से मारा पीटा है जिससे परिवार के कई लोगो को चोटे आयी है। उक्त सूचना पर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 145/2024, धारा 147, 323, 504, 506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)VA एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम शत्रुधन आदि 05 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 23.05.2024 को थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयासोपरान्त 02 और नामजद अभियुक्तो 01. शत्रोधन, 02. तिलकराम को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. शत्रोहन पुत्र शत्रोधन पुत्र रमई निवासी लखनापुर मौजा गोनवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. तिलकराम उर्फ तिलकू पुत्र रमई निवासी लखनापुर मौजा गोनवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 145/2024, धारा 147, 323, 504, 506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)VA एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुरेश कुमार सिंह
02. का0 विकास यादव
03. का0 जमुना प्रसाद

मीडिया सेल, गोण्डा।
प्रेस नोट
दिनांक 23.05.2024, थाना उमरीबेगमगंज,
जनपद गोण्डा।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा जान मारने की नियत से बम फेकने व मारपीट करने का वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया,

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 146/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 307 भादवि व 4/5 विस्फोटक अधि0 से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त रामकरन पासवान पुत्र गयादीन नि0ग्राम पुरेडाल थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.05.2024 को वादी मेहीलाल पासवान पुत्र स्वंग हरदीन निवासी पुरेडाल थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज को सूचना दिया कि दिनांक 21.05.2024 को मै अपना दिवाल बनाकर उस पर सिमेन्ट की चादर डाल कर परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे थे की विपक्षीगण रामकरन आदि मोटरसाकिल व बोलेरो से 20-25 की संख्या में अपने अपने हाथ में हथियार, हाकी, डण्डा व हाथ गोला बम लेकर मेरे घर पर हमला कर दिया। दिवाल व सीमेन्ट की चादर व घर में रखा सारा समान तोड़ दिये । गाली गुप्ता देते हुए जान मारने के नियत से घर पर बम फेक दिया जिससे काफी चोटे आयी है। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 146/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 307 भादवि व 4/5 विस्फोटक अधि बनाम संतोष पासवान आदि 04 नामजद व 20-05 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 22.05.2024 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त रामकरन पासवान पुत्र गयादीन नि0ग्राम पुरेडाल थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रामकरन पासवान पुत्र गयादीन नि0ग्राम पुरेडाल थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 146/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 307 भादवि व 4/5 विस्फोटक अधिनियम 1984 थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पवन कुमार गिरी
02. का0 ऋषिकेश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 22.05.2024, थाना कोतवाली नगर

जनपद गोण्डा।

को0नगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड से पीड़ित के रु 14,000/- कराए वापस, पीड़िता ने गोण्डा पुलिस को कहा धन्यवादः-

गोण्डा। जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली नगर पर गठित साइबर हेल्प डेस्क कर्मियों द्वारा पीड़िता से फ्रॉड की गयी धनराशि को साइबर सेल गोण्डा व सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए ठगी गयी धनराशि **14,000**/- रूपये पीड़ित के खाता में वापस करवाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदका द्वारा थाना कोतवाली नगर गोण्डा को सूचना दिया की अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुछ सस्ती बस्तु देने का लालच देकर यू0पी0आई0 के माध्यम से साइबर फ्राड़ कर रूपये ट्रांसफर करा लिया गया है। जिस पर थाना कोतवाली नगर पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कर्मियों द्वारा साइबर सेल गोण्डा व सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते आवेदका के 14,000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए गोण्डा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

नोटः- साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं पुलिस को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 या डायल-112 पर भी शिकायत दर्ज कराएँ।

सराहनीय कार्य करने वाली टीम में साइबर हेल्प डेस्क के प्रभारी उ0नि0 उदित कुमार वर्मा, का0 पंकज कुमार, म0का0 शिवानी तिवारी शामिल रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।